

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-252/03
संस्थापित दिनांक-07.08.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- अब्दुल खालिद पुत्र अब्दुल अजीज उम्र 35 साल निवासी- बुनकर कॉलोनी चंदेरी अशोकनगर म0प्र0। 2- बृजेन्द्र सिंह पुत्र पंचम सिंह बुन्देला उम्र 38 साल निवासी- जमूसर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण 3. श्रवण उर्फ सिलावन सिंह पुत्र नेकराम सिंह निवासी जमोनिया, हाल निवासी रामनगर नई बस्ती ललितपुर उ0प्रफरार
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री ए.के.जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 17.02.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 380 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 25.03.2002 रात्रि 9 बजे से 12 बजे की दरम्यानी रात्रि में शेखों की मस्जिद के पास चबुतरा के पास फरियादी के मकान का ताला तोड़कर सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद चोरी करने के आशय से रात्रो गृहभेदन कारित किया तथा फरियादी अब्दुल हलीम के घर में उसकी सहमति के बिना चोरी करने के आशय से प्रवेश कर उसके घर में रखे ढेड लाख रुपये एक, सोने की अंगुठी तथा एक सूटकेस ले जाकर चोरी की।

02- प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त श्रवण उर्फ सिलावन सिंह पुत्र नेकराम सिंह दिनांक 10.05.2011 के आदेशानुसार फरार है, यह निर्णय शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध पारित किया जा रहा है।

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी अब्दुल हलीम ने थाना चंदेरी में इस आशय का लेखिये आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.03.2003 को रात 9 बजे की बात है फरियादी अब्दुल हफीज अपने घर का ताला डाल कर ताजियों में शामिल होने बस स्टेण्ड पर गया था। रात के करीबन 11-12 बजे लौटकर आया तो उसने घर का ताला नहीं था, और दरवाजा कुन्दी से बन्द किया। उसने अन्दर जाकर देखा तो अन्दर एक पेटी का ताला टूटा था, ताला नहीं दिखा, एक सूटकेस जिसमें करीबन 1,50,000/- रुपये थे और जिसमें सभी तरह के नोट हैं, उसी में सोने की दो अंगूठी तथा एक अंगूठी नग लगी है। सोना करीब एक तोला है। नोटों की गड़्डीयों पर मेरे फर्म की सील लगी है जिसे देखने के बाद बता सकता हूँ फरियादी के उक्त आवेदन से थाना चंदेरी में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 457, 380 भा0द0वि0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। मेमोरेडम, जप्ती एवं शिनाख्तगी की कार्यवाही की एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झूठा फसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.03.2002 रात्रि 9 बजे से 12 बजे की दरम्यानी रात्रि में शेखों की मस्जिद के पास चबुतरा के पास फरियादी के मकान का ताला तोड़कर सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद चोरी करने के आशय से रात्रि गृहभेदन कारित किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी अब्दुल हलीम के घर में उसकी सहमति के बिना चोरी करने के आशय से प्रवेश कर उसके घर में रखे ढेड़ लाख रुपये, एक सोने की अंगूठी तथा एक सूटकेस ले जाकर चोरी की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 2 एक दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अब्दुल हलीम अ०सा०1 जो कि प्रकरण में स्वयं फरियादी है ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी अब्दुल खालिद को जानता है एवं आरोपी ब्रजेन्द्र एवं श्रवण को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों के 9 साल पहले की होकर रात 10:30 बजे की होना व्यक्त किया। वह रात 9 बजे ताजिये देखने घर से निकल गया था और जब अब्दुल हलीम रात पौने 12 बजे घर आया तो घर का ताला खुला था और जिस सूटकेस में पैसे थे वह सूटकेस नहीं था एवं घर का सामान विखरा था।

07— उक्त साक्षी ने बताया कि सूटकेस में करीब 8-10 लाख रुपये थे जिसमें सभी तरह के नोट थे। चोरी गये सामान में 2 सोने की चैन, 4 सोने की अंगुठी एवं दो चांदी की अंगुठी, सोने की अंगुठी में नग लगे थे तथा चांदी की अंगुठी प्लेन थीं। चांदी 10-15 ग्राम थी एवं सोना करीब 4 तोला था, जबकि नोटों की कोई पहचान नहीं थी। जिसके संबंध में साक्षी द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट की थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्र.पी. 2 के ए से ए भाग पर साक्षी ने उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया, किन्तु किस बात के हस्ताक्षर हैं यह ध्यान नहीं है।

08— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने व्यक्त किया कि उसे थाने से 20 हजार रुपये और दो अंगुठी मिल गई थी तथा अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अपने बयान प्र.पी.3 में ऐसा नहीं लिखाया था कि उसके घर से 15 हजार रुपये की चोरी हुई थी, साक्षी ने स्वतः कहा कि पुलिस ने उससे दबाब में लिखाया था। पुलिस ने उससे कहा था कि तुम्हारा सेल टैक्स, इंकम टैक्स लगेगा इसलिये इतना ही लिखाओ। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि नोटों पर ना तो कोई हस्ताक्षर करता है न ही सील लगाता है तथा वह मुनीम है तथा लिखा पढ़ी का कार्य करता है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह सेल टैक्स व इंकम टैक्स नहीं देता है।

09— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि उसके पास 8-10 लाख रुपये वेतन के रखे थे। साक्षी ने बताया कि उसे जहीन भाई के यहां नौकरी करते 20 साल हो गये हैं, किन्तु नौकरी कब प्रारम्भ की थी उसे याद नहीं है तथा उसका किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि 8-10 लाख रुपये में कितने कितने के नोट थे वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे बताया कि उसके सूटकेस में 8-10 लाख रुपये होने वाली बात रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं बयान में नहीं बताई थी। सोने की 2 चेन, 4 सोने की अंगुठी व 2 चांदी की अंगुठी मैंने अपने आवेदन व बयान में न लिखी हो तो इसका कारण नहीं बता सकता और यदि मेरे आवेदन और पुलिस कथन एवं शिनाख्तगी में यदि लेडीज अंगुठी लिखा हो तो वह गलत है।

10— फरियादी अब्दुल हलीम की ओर से थाना चंदेरी में दिये गये आवेदन प्र.पी. 1 का अवलोकन करने से उसमें एक सफारी सूटकेस जिसमें करीब 1,50,000/- रूपयो जिसमें सभी तरह के नोट थे तथा उसी सूटकेस में सोने की 2 अंगुठी जिनका वजन करीब 1 तोला है कि चोरी होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था किन्तु साक्षी ने उसके न्यायालयीन कथनों में 2 सोने की चेन, 4 सोने की अंगुठी एवं 2 चांदी की अंगुठी एवं 8-10 लाख रुपये चोरी होने के संबंध में बताया है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी विजय दीक्षित अ0सा05 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 26.03.02 को थाना चंदेरी में टीआई के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को फरियादी अब्दुल हलीम कुरैशी द्वारा एक लेखिए आवेदन उसके समक्ष पेश किया था जिसके आधार पर उसके द्वारा थाने में अ0क0. 87/02 धारा 457, 380 भा0द0वि0 के अन्तर्गत असल कायमी की गई थी। उक्त रिपोर्ट प्र. पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— विजय दीक्षित अ0सा05 ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया कि प्र.पी. 11 की रिपोर्ट फरियादी द्वारा सीधे दर्ज नहीं कराई थी बल्कि प्र.पी. 1 की नकल प्र.पी. 11 के रूप में उतारी गई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में व्यक्त किया कि उसने फरियादी से ऐसा नहीं कहा था कि वह कितने रूपयो की चोरी की रिपोर्ट करावे तथा उक्त साक्षी ने फरियादी से ऐसा नहीं कहना भी व्यक्त किया कि वह इंकम टैक्स, सेल टैक्स के कारण पुरी रिपोर्ट न लिखाये। इस प्रकार जहां एक ओर स्वयं फरियादी उसके लेखिए आवेदन में चोरी गये सामान में सोने की 2 अंगुठी, सूटकेस व नगदी 1,50,000/- रूपये चोरी होना लेख करता है, वही दुसरी ओर न्यायालयीन कथनों में 2 सोने की चेन, 4 सोने की अंगुठी, 2 चांदी की अंगुठी एवं 8-10

लाख रुपये चोरी होना व्यक्त करता है। इस प्रकार स्वयं फरियादी की ओर से प्रस्तुत लेखिए आवेदन प्र.पी. 1 एवं न्यायालयीन कथनो में महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित होता है।

12— अलीम उर्फ भैय्यु अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो में अब्दूल खालिद को जानने वाली बात बताई, किन्तु घटना के बारे में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि दिनांक 25.03.02 को रात 9 बजे जब वह छत पर बच्ची को सुला रहा था तब खालिद और उसके दो साथी मुरली मंदिर से आए थे जिन्हे उसने टोका था। इस बात से इंकार किया कि खालिद फुटा कुंआ तरफ जा रहा था और 20—25 मीनिट बाद खालिद और उसके दो साथ लौटकर आए थे। उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने केवल पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे और उसने पुलिस को कोई कथन नहीं दिये तथा अभियोजन के इस सुझाब से भी इंकार किया कि आरोपीगण उसके परिचित है इसलिये उन्हें बचाना चाहता है। प्रतिपरीक्षण ने उक्त साक्षी ने बताया कि पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

13— अब्दुल मुबीन अ0सा03, नसीम शेख अ0सा04 ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपी अब्दूल खालिद को जानने वाली बात व्यक्त कि शेष आरोपीगण को न जानना व्यक्त किया। उक्त साक्षीगण ने मेमोरेडम प्र.पी. 4, 5, जप्ती पंचनामा प्र.पी. 6 एवं 7 के ए से ए और बी से बी भागो पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। किन्तु इस बात से इंकार किया कि आरोपी अब्दूल खालिद एवं आरोपी ब्रजेन्द्र ने उनके समक्ष मेमोरेडम प्र.पी. 4 व 5 के ए से ए भाग के बयान दिये थे। उक्त साक्षीगण ने उनके मुख्य परीक्षण में इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी अब्दूल खालिद एवं आरोपी ब्रजेन्द्र से उनके समक्ष कोई वस्तु जप्त की गई थी तथा अभियोजन के इस सुझाब से भी इंकार किया है कि वह आरोपीगण को बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहे हैं। इस प्रकार मेमोरेडम एवं जप्ती के महत्वपूर्ण साक्षियो ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है, केवल मेमोरेडम एवं जप्ती पंचनामे पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर करना स्वीकार किया है। प्रकरण में अवलोकनीय है कि मेमोरेडम एवं जप्ती की कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर एवं पुलिस महानिदेशक भोपाल के माध्यम से कई बार समंस/वारंट जारी किए गये किन्तु

अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा प्रकरण वर्ष 2003 से लंबित होने के कारण अभियोजन को साक्ष्य हेतु बारम्बार अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की गई थी।

14— इसके अतिरिक्त अभियोजन के प्रकरण अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति की शिनाख्तगी की कार्यवाही मनोहर कोली पार्षद वार्ड क्र० 2 द्वारा किया जाना बताया है। किन्तु अभियोजन साक्षी मनोहरलाल अ०सा०७ ने उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह वर्ष 2002 में वार्ड क्र० 2 चंदेरी में पार्षद के पद पर था और प्र.पी. 2 के शिनाख्तगी पंचनामे के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा लगी है। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में भी व्यक्त किया कि प्र.पी. 2 का दस्तावेज किस कार्यवाही के संबंध में तैयार किया गया है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है।

15— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसके द्वारा एक अंगुठी जनान सोने की एवं एक अंगुठी मर्दानी के संबंध में पहचान की कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी ने स्वतः कहा कि वह नगर पालिका चंदेरी में पार्षद था इस कारण थाने में उसका आना जाना रहता था और उसी दौरान उससे प्र.पी. 2 में हस्ताक्षर करा लिये होंगे तथा अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह आरोपी से मिलकर न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रकरण के फरियादी अब्दूल हलीम कुरैशी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में व्यक्त किया कि मनोहरलाल कोली ने उनके समक्ष प्र.पी. 2 'शिनाख्तगी कार्यवाही' की कोई कार्यवाही नहीं की तथा प्र.पी. 2 पर उससे कहां हस्ताक्षर कराये थे उसे ध्यान नहीं है। इस प्रकार शिनाख्तगी कार्यवाही के संबंध में स्वयं फरियादी द्वारा एवं शिनाख्तगी की कार्यवाही संपादित कराने वाले पार्षद मनोहरलाल कोली अ०सा०७ ने शिनाख्तगी कार्यवाही कराये जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मेमोरेडम, गिरफ्तारी, जप्ती एवं शिनाख्तगी के साक्षीयों द्वारा अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया है।

16— इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य का मूल्यांकन करने उपरांत प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.03.2002 रात्रि 9 बजे से 12 बजे की दरम्यानी रात्रि में शेखों की मस्जिद के पास चबुतरा के पास फरियादी के मकान का ताला तोड़ कर सूर्योदय के पूर्व तथा

सूर्यास्त के बाद चोरी करने के आशय से रात्रो गृहभेदन कारित किया तथा फरियादी अब्दुल हफीज के घर में उसकी सहमति के बिना चोरी करने के आशय से प्रवेश कर उसके घर में रखे ढेड लाख रुपये, एक सोने की अंगूठी तथा एक सूटकेस ले जाकर चोरी की। अतः अभियुक्तगण अब्दुल खालिद, बृजेन्द्र को भा.द.वि. की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक अंगुठी सोने की जनानी, एक सोने की अंगुठी मर्दानी, एक गड़्डी 50/— रुपये के नोटो की जिसमें 100 नोट हो, 4 नोट 500/— रुपये के, 30 नोट 100/— रुपये के, 25 नोट 100/— रुपये के, 50 नोट 50/— रुपये के, एक गड़्डी 50/— रुपये के नोटो की जिसमें 100 नोट है, पूर्व से फरियादी अब्दुल हफीज के पास सुपुर्दगी पर है एवं उक्त संपत्ति पर किसी अन्य की ओर से कोई दावा नहीं किया है। अतः उक्त सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

19— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
,दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0